



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052021-227206
CG-DL-E-27052021-227206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1881]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943

No. 1881]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISTHA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 2020(अ).— केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काण्डला (गुजरात) से गोरखपुर (उ०प्र०) एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन

बिध्याये जाने हेतु उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में उप जिलाजधकारी, तहसील- सैदपुर, गाजीपुर / सक्षम प्राधिकारी आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड, काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना (के०जी०पी०एल०), जिला- गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : गाजीपुर		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर—	एयर—	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
सैदपुर	मकरसन	92	00	00	71
		93	00	03	82
		91	00	00	52
		85	00	11	10
		83	00	00	64
		81	00	05	86
		80	00	00	58
		68	00	04	02
		67	00	07	69
		64	00	00	36
		99	00	00	58
		63	00	00	20
		57	00	01	00
		58	00	04	09
		56	00	09	09
		38	00	00	38
		21	00	06	67
		22	00	01	49
		20	00	04	41
		18	00	00	35
		17	00	02	21
		16	00	02	43
		15	00	02	42
सैदपुर	नसीरपुर	71	00	00	52
		92	00	07	04
		90	00	01	84
		89	00	01	45
		88	00	01	60

1	2	3	4	5	6
		83	00	00	20
		84	00	00	20
		87	00	02	36
		64	00	00	31
		43	00	06	55
		42	00	04	21
		44	00	01	16
		46	00	01	65
		35	00	00	45
		14	00	08	00
		16	00	03	81
		17	00	00	31
		18	00	03	98
		19	00	04	91
		20	00	03	95
		21	00	00	28

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 2020(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the petroleum product in the state of Uttar Pradesh Pipeline should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Private Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline. It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Sub Divisional Magistrate, Tehsil- Saidpur, Ghazipur / Competent Authority, IHB Private Limited, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), Dist.- Ghazipur (UP) within twenty one days from the date on which the copies of the

notification Issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

District : Ghazipur		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Saidpur	Makarsan	92	00	00	71
		93	00	03	82
		91	00	00	52
		85	00	11	10
		83	00	00	64
		81	00	05	86
		80	00	00	58
		68	00	04	02
		67	00	07	69
		64	00	00	36
		99	00	00	58
		63	00	00	20
		57	00	01	00
		58	00	04	09
		56	00	09	09
		38	00	00	38
		21	00	06	67
		22	00	01	49
		20	00	04	41
		18	00	00	35
		17	00	02	21
		16	00	02	43
		15	00	02	42
Saidpur	Nasirpur	71	00	00	52
		92	00	07	04
		90	00	01	84
		89	00	01	45
		88	00	01	60
		83	00	00	20
		84	00	00	20

1	2	3	4	5	6
		87	00	02	36
		64	00	00	31
		43	00	06	55
		42	00	04	21
		44	00	01	16
		46	00	01	65
		35	00	00	45
		14	00	08	00
		16	00	03	81
		17	00	00	31
		18	00	03	98
		19	00	04	91
		20	00	03	95
		21	00	00	28

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2021

का.आ. 2021(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र सं० 457, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख फरवरी 2, 2021 में पृष्ठ सं० 1 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 501(अ) तारीख फरवरी 2, 2021 के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला- जालौन	तहसील - कोंच	राज्य : उत्तर प्रदेश
के स्थान पर	पढ़ा जाये	
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड	

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

ERRATUM

New Delhi, the 6th April, 2021

S.O. 2021(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby makes the following amendment in paragraph 6 in the Hindi version of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 501(E) dated February 2 2021, published at page 1 in part II, Section – 3, Sub – Section (ii) of the Gazette of India No. 457 dated February 2,2021, namely:-

SCHEDULE

District : Jalaun

Tehsil : Konch

State : Uttar Pradesh

Indian Oil Corporation Limited	IHB Private Limited
For	Read

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.